न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 03/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/189**
दायर दिनांक :– 08.05.2025 **निर्णय दिनांक :– 09.01.2026**

1. भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण तहसील पोकरण जिला जैसलमेर

–अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत बारू जरिये सरपंच बारू पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. शैतानसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी साखलों की ढाणी बेंगटी खुर्द तह. व जिला फलोदी
3. सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी साखलों की ढाणी बेंगटी खुर्द तह. व जिला फलोदी
4. स्वरूपसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी साखलों की ढाणी बेंगटी खुर्द तह. व जिला फलोदी
5. भूरसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी साखलों की ढाणी बेंगटी खुर्द तह. व जिला फलोदी
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 3821 ग्राम बारू ग्राम पंचायत बारू

उपस्थित :–

1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री नारायणसिंह भाटी रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5

–:: निर्णय ::–

अपीलार्थी ने राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की इस आशय से पेश किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जा सुदा खरीद की कृषि भूमि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर की आई हुई है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त विवादित भूमि अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 से जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से दिनांक 22.03.2025 को खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा पंजीबद्व विक्रय पत्र की छाया प्रति पटवारी हल्का को अपने नाम से नामान्तरकरण भरने हेतु प्रदान कर दी थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.04.2025 को ऑनलाईन नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू भर कर जांच एवं स्वीकृति हेतु रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ग्राम पंचायत बारू को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया। जिसके पश्चात नियमानुसार ग्राम पंचायत की दो आम बैठकों में जांच/स्वीकृत न करके दिनांक 03.05.2025 को बदयांतिपूर्वक बिना किसी ग्राम सभा एवं आम सूचना नामान्तरकरण को अपने अधिकारों से परे जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बारू द्वारा बिना कोई विधिक प्रकिया किये विधि विरूद्व तरीके से उक्त नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को नोटः– **"उक्त खसरे की भूमि का पूर्व में पंजीबद्व आममुख्तयारनामा दिनांक 07.08.2024 कम संख्या 202403090400005 अनुसार आपत्ति होने के कारण पंचायत की मिटींग में सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है"** का नोट लगाकर निरस्त कर दिया गया है जबकि रेस्पोडेन्टस

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत को किसी पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को इस आधार पर निरस्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है यदि किसी भूमि के संबंध में प्रथम दृष्ट्या विवाद ग्राम पंचायत को प्रतीत होता है तो भी केवल तहसीलदार को अपनी टिप्पणी के साथ प्रतिप्रेषित करने का ही ग्राम पंचायत को अधिकार है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को निरस्त किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत बारू द्वारा नामान्तरकरण अस्वीकृत करने में भारी विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत बारू द्वारा अपीलार्थी को बिना किसी नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू स्वीकृत किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होने के कारण भी ग्राम पंचायत बारू द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2025 अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बारू को पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विवादित नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को निरस्त किये जाने से ग्राम पंचायत बारू द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2025 को उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 अपील में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर के खातेदार दर्ज रेकर्ड रहे है रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 द्वारा उक्त भूमि का अपीलांट के पक्ष में बेचाननामा पंजीबद्व/निष्पादन करवाने से काई माह पूर्व उक्त भूमि की सम्पूर्ण चाराजोही बाबत् किसी अन्य व्यक्ति को आम मुख्तयार (जरिये पंजीबद्व आम मुख्यतयारनामा) नियुक्त कर रखा था। वरवक्त अपीलांट के पक्ष में बेचान रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 अपनी उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1183 में रकबा 2.0526 हैक्टेयर का बेचान रहन या अन्य प्रकार की चाराजोही करने में सक्षम होने के कारण रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 ने अपने आम मुख्तयारनामा को विधिवत नोटिस से सूचित करते हुवे उपपंजीयक शेखासर को इसकी लिखित सूचना देते हुवे उक्त भूमि खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर बाबत पूर्व में पंजीबद्व मुख्तयारनामा निरस्त करवा दिया था। उसके बाद ही अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग करते हुवे उक्त बेचाननामा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीबद्व करवाया है। चूंकि उक्त आम मुख्तायारनामा को आधार मानकर ग्राम पंचायत बारू द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को निरस्त करना कानून की बहुत बडी भूल है। जिससे क्षुब्द होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंट्स संख्या 1 की और से ग्राम विकास अधिकारी ने उपस्थित होकर बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 6 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर बताया कि ग्राम बारू पटवार हल्का बारू तहसील बाप के खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अपीलांट के पक्ष में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना उचित है। रेस्पोडेंटस संख्या 2 ता 5 की और से अधिवक्ता नारायणसिंह भाटी ने वकालतनामा व जवाब पेश कर जवाब में बताया कि खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर काश्त भूमि में हम रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 का संयुक्त 634/20465 वें हिस्से का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के द्वारा दिनांक 22.03.2025 को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र निष्पादित कर अपीलार्थी भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह जाति राजपूत निवासी छायण को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। सरपंच ग्राम पंचायत बारू ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्व तरीके से अस्वीकृत किया है।

Satya
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बारू द्वारा दिनांक 22.03.2025 के विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 3821 ग्राम मौजा बारू को आम मुख्त्यारनामा दिनांक 07.08.2024 की आपत्ति होना बताकर गलत खारिज किया है, उक्त आम मुख्त्यारनामा विधि में शून्य व प्रभावहीन है। खसरा नम्बर 1183 रकबा 66.2551 हैक्टेयर काश्त भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के हिस्से की भूमि का भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह को विक्रय करने के पश्चात उप पंजीयक कार्यालय शेखासर में पंजीयन करवाने के समय प्रद्युमनसिंह पुत्र गेंभरसिंह जाति राजपूत निवासी बारू हमारे पहले से उक्त खसरा नम्बर 1183 के दो खेत बाद के पड़ोसी होने व जान पहचान के होने से विक्रय पत्र में द्वितीय पक्षकार के साख डालने का अनुरोध करने पर और विशेष पढे लिखे नहीं होने व कानून की बारिकियों की जानकारी नहीं होने से से तथ्यों की भूल से उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 का सयुक्त अपने हिस्से की भूमि का आम मुख्त्यारनामा दिनांक 07.08.2024 कम संख्या 20240309040005 प्रद्युमनसिंह पुत्र गेंभरसिंह के नाम आम मुख्त्यारनामा गलत निष्पादित हो गया था जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 ने दिनांक 21.03.2025 को उप पंजीयक शेखासर के समक्ष अधिवक्ता से विधिक नोटिस आम मुख्त्यारनामा निरस्त करवाने बाबत जारी करवाकर उक्त आम मुख्त्यारनामा के जरिये किसी भी प्रकार का विक्रय विलेख व अन्य हस्तान्तरण विलेख नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था, उक्त भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 द्वारा भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 22.03.2025 से पूर्व आम मुख्त्यार प्रद्युमनसिंह पुत्र गेभरसिंह को रजिस्टर्ड डाक व मोबाईल के माध्यम से सूचना प्रेषित करवा दी थी दिनांक 07.08.2024 को नियुक्त आम मुख्त्यारनामा में दिये गये समस्त अधिकार निरस्त कर मुख्त्यारनामा निरस्तीकरण विलेख निष्पादित कर तत्पश्चात उक्त भूमि का विक्रय विलेख भोमसिंह के पक्ष में निष्पादित कर उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर उक्त भूमि बाबत प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रद्युमनसिंह पुत्र गेंभरसिंह की बड़ी भाभी लगती है और कानूनन आम मुख्त्यारनामा जो प्रद्युमनसिंह के पक्ष में तथ्यों की भूल से किया गया था और प्रद्युमनसिंह सरपंच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिवार का सगा देवर होने से उक्त नामान्तरकरण सरपंच के परिवार से यदि संबंधित होता तो सरपंच रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलाधीन नामान्तरकरण पर आदेश पारित करवाने हेतु कानूनन स्वयं निरस्त नहीं कर पड़ोसी ग्राम पंचायत को निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक था जो प्रेषित नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पड़ोसी ग्राम पंचायत को और तहसीलदार को प्रेषित नहीं कर अपने पारिवारिक सदस्य प्रद्युमनसिंह के कहने से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत खारिज किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 प्रिंसिपल द्वारा किया जाने से विधि में मुख्त्यारनामा का कोई महत्व भी नहीं रह जाता है। अस्वीकृत किये जाने से अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उनकी पूर्ण सहमति है। अपील अपीलांट स्वीकृत की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू पर दिनांक 03.05.2025 को अवैध रूप से पारित निरस्ती आदेश को खारिज किया जाकर विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2025 के अनुसार अपीलाण्ट के बहक नवीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस मनन किया। प्रकरण का विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

1. अपीलार्थी भोमसिंह ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अपील अन्गर्तत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त खरीदसुदा कृषि भूमि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर की आई हुई है। उपरोक्त खसरान की वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी उक्त विवादित भूमि में से रकबा 2.0526 हैक्टेयर भूमि अपीलांट भोमसिंह को जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से दिनांक 22.03.2025 को बेचान कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा अपीलांट के द्वारा पंजीबद्व विक्रय पत्र की छाया प्रति पटवारी हल्का को अपने नाम से नामान्तरण भरने हेतु प्रदान कर दी थी जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.04.2025 को ऑनलाईन नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू भर कर जांच एवं स्वकृति हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत बारू को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया। जिसके पश्चात नियमानुसार ग्राम पंचायत की दो आम बैठकों में जांच/स्वीकृत न करके दिनांक 03.05.2025 को बदयांतिपूर्वक बिना किसी ग्राम सभा एवं आम सूचना नामान्तरकरण को अपने अधिकारों से परे जाकर सरपंच ग्राम पंचायत बारू द्वारा बिना कोई विधिक प्रकिया किये विधि विरूद्व तरीके से उक्त नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को नोटः– **"उक्त खसरे की भूमि का पूर्व में पंजीबद्व** आममुख्तयारनामा **दिनांक 07.08.2024 कम संख्या 202403090400005 अनुसार आपत्ति होने के कारण पंचायत की मिटींग में सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है"** का नोट लगाकर निरस्त कर दिया गया है

पत्रावली के संलग्न पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 22.03.2025 की चिप्रति से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ने ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर भूमि का बेचान पंजीबद्व विक्रय पत्र से अपीलांट भोमसिंह पुत्र भाखरसिंह को किया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.04.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचातय बारू को ऑनलाईन फॉरवर्ड किया गया। जिसका उल्लेख पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 3821 में अंकन किया है। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत बारू ने दिनांक 03.05.2025 को बिना कोई विधिक प्रकिया किये विधि विरूद्व तरीके से उक्त नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू को नोटः– **"उक्त खसरे की भूमि का पूर्व में पंजीबद्व** आममुख्तयारनामा **दिनांक 07.08.2024 कम संख्या 202403090400005 अनुसार आपत्ति होने के कारण पंचायत की मिटींग में सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है"** का नोट लगाकर निरस्त कर दिया गया है जबकि ग्राम विकास अधिकारी बारू द्वारा प्रस्तुत बैठक कार्यवाहियों का रजिस्टर प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.04.2025 में अकंन किया है कि म्यूटेशन संख्या 3821 को आपत्ति होने के कारण सर्व सम्मति से खारजि किया गया इसके अलावा अन्य बाकी नामान्तरकरण सर्व सम्मति से स्वीकृत किए गये। नामान्तरकरण संख्या 3821 एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरकरण पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2025 के अनुसार न होकर त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्व से खारिज किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किया जाकर तहसीलदार बाप को

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

देश दिया जाना उचित होगा कि पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2025 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है कि ग्राम बारू के खसरा नम्बर 1183 रकबा 2.0526 हैक्टेयर भूमि विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2025 के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 3821 मौजा बारू त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्व होने के कारण अपास्त किया जाता है। तहसीलदार बाप को निर्देश दिये जाते है कि पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 22.03.2025 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करें। पत्रावली इसी अनुसार निर्णित होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)